## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 80/2019 दायरा दिनांक : 18.10.2019

उनवान

1– धनराज आत्मज रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

2– रामनिवास आत्मज रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

3– सुशीला बाई पुत्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

4– मुकलेश बाई पुत्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

5– राजकिरण बाई पुत्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

6– द्रोपती बाई पत्नी स्वर्गीय रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

7– नन्दलाल पुत्र प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

8– हरिलाल पुत्र प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

9– रामजानकी बाई पुत्री प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

10– धनकुंवरबाई पुत्री प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

11– शोधरा बाई पुत्री प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

12– गोप्या बाई पत्नी स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

.... अपीलार्थ

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाम

1— महेन्द्र कुमार आत्मज मन्नालाल, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

2— पंजाब नेशनल बैंक, हरीगढ़, जरिये प्रबन्धक

3— सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पनवाड़ जरिये प्रबन्धक

4— राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खानपुर

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 81/2019 दायरा दिनांक : 18.10.2019

उनवान

1— धनराज आत्मज रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

2— रामनिवास आत्मज रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

3— सुशीला बाई पुत्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

4— मुकलेश बाई पुत्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

5— राजकिरण बाई पुत्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

6— द्रोपती बाई पत्नी स्वर्गीय रामकरण, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

7— नन्दलाल पुत्र प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

8— हरिलाल पुत्र प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

9— रामजानकी बाई पुत्री प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

10– धनकुंवरबाई पुत्री प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

11– शोधरा बाई पुत्री प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

12– गोप्या बाई पत्नी स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

.... अपीलांट

**बनाम**

1– महेन्द्र कुमार आत्मज मन्नालाल, जाति मीणा, निवासी खमावदा, तहसील व जिला झालावाड़

2– पंजाब नेशनल बैंक, हरीगढ़, जरिये प्रबन्धक

3– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पनवाड़ जरिये प्रबन्धक

4– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खानपुर

उपस्थित श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सिंह पंवार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 29.12.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 615/दावा/2013 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 24.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिगण अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इन तथ्यों पर

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
उपखण्ड राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत किया था कि ग्राम बनी तहसील खानपुर की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के शामलाती कब्जे काश्त में स्थित है जिसके विभाजन कराने का वाद प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत दहीखेड़ा में आयोजित लोक अदालत के केम में वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार खानपुर को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की ।

अपील संख्या 80/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय तथा विधि के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आदेश निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान ने कोई सहमति नहीं दी है । लोक अदालत की भावना उसके उद्देश्यों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुसरण में पक्षकार के मध्य समझौतों से मामले का निपटवारा कराना होता है तथा इसके लिए न्याय के सिद्धांतों तथा निष्पक्ष व्यवहार का अपनाया जाता है । मौजूदा मामले में पक्षकारान के अनुपस्थित होने से निर्णय व डिक्री विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुरूप लोक अदालत का नहीं होने से प्रारम्भतः अकृत व शून्य हैं जो कि प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण पर बाध्यकारी नहीं है । उक्त मामले में प्रतिवादी नम्बर 1 अपीलार्थी व प्रत्यर्थी वादी के मध्य किसी भी प्रकार से सहमति नहीं बनने के कारण मामले को ज्यूडिकेचर न्यायालय के समक्ष निर्णित हेतु भेजा जाना चाहिए था जहां पर मामले को भू राजस्व अधिनियम 1956 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रिया के तहत ही निर्णय किया जा सके । यदि लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अपने में ज्यूडिकेचर न्यायालय की शक्ति निहित होने की अवस्था में ज्यूडिकेचर न्यायालय की प्रक्रिया को अपनाते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुरूप लोक अदालत

(महेन्द्र सोनी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
(राज.)

के प्रावधानों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1982के प्रावधानों से तथा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावाधानों से परे जाकर तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया को अपनाये बगैर अपीलार्थी को को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधिक हकों व अधिकारों से वंचित रखा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है । यदि इस निर्णय कोअस्तित्व में रखा जाता है तो सार्वजनिक विधिक अधिकार तथा अपीलार्थी के व्यक्तिगत अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव न हो पावेगी । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत के नोटिस विधिवत तामील नहीं हुए हैं । पक्षकारान की आराजी में खातेदारान के आने जाने के लिए उत्तर दिशा में करीब 20 फीट का रास्ता बना हुआ है जिस बाबत तथ्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिलने के कारण नहीं उठा सके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत सम्मन नियमित अदालत व लोक अदालत की तामील नहीं करवाई गई जिस कारण उनके विरूद्ध उक्त प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही हुई व एक पक्षीय निर्णय हुआ, एकपक्षीय निर्णय के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 क के तहत निर्णय व डिक्री की सूचना नहीं दी, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री अपास्त की जाये ।

अपील संख्या 81/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय तथा विधि के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आदेश निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान ने कोई सहमति नहीं दी है । लोक अदालत की भावना उसके उद्देश्यों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुसरण में पक्षकार के मध्य समझौतों से मामले का निपटवारा कराना होता है तथा इसके लिए न्याय के सिद्धांतों तथा निष्पक्ष व्यवहार का अपनाया जाता है । मौजूदा मामले में पक्षकारान के अनुपस्थित होने से निर्णय व डिक्री विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुरूप

लोक अदालत का नहीं होने से प्रारम्भतः अकृत व शून्य हैं जो कि प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण पर बाध्यकारी नहीं है । उक्त मामले में प्रतिवादी नम्बर 1 अपीलार्थी व प्रत्यर्थी वादी के मध्य किसी भी प्रकार से सहमति नहीं बनने के कारण मामले को ज्यूडिकेचर न्यायालय के समक्ष निर्णित हेतु भेजा जाना चाहिए था जहां पर मामले को भू राजस्व अधिनियम 1956 दीवानी प्रकिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रकिया के तहत ही निर्णय किया जा सके । यदि लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अपने में ज्यूडिकेचर न्यायालय की शक्ति निहित होने की अवस्था में ज्यूडिकेचर न्यायालय की प्रकिया को अपनाते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुरूप लोक अदालत के प्रावधानों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1982के प्रावधानो से तथा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावाधानों से परे जाकर तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया को अपनाये बगैर अपीलार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधिक हको व अधिकारों से वंचित रखा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है । यदि इस निर्णय कोअस्तित्व में रखा जाता है तो सार्वजनिक विधिक अधिकार तथा अपीलार्थी के व्यक्तिगत अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव न हो पावेगी । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत के नोटिस विधिवत तामील नहीं हुए हैं । पक्षकारान की आराजी में खातेदारान के आने जाने के लिए उत्तर दिशा में करीब 20 फीट का रास्ता बना हुआ है जिस बाबत तथ्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिलने के कारण नहीं उठा सके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को दक्षिणी दिशा में स्थित आराजी दी है जबकि विभाजन के नियम यह है कि प्रत्येक खातेदार को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी दी जानी चाहिए । उक्त प्रकरण में उक्त आराजी की खातेदारी आराजी में से होकर उत्तर दिशा में 20 फीट रास्ता अन्य खातेदारान के आने जाने के लिए तथा वादी के आने जाने के लिए रास्ता निकल रहा है जिसका प्रभाव यह हो रहा है कि अपीलार्थीगण के करीब 3 बीघा भूमि उनके निहित हिस्से से कम आ रही है, कानूनन कानून की कियान्विति

से किसी भी सहखातेदार के हितों व अधिकारों को विभाजन से नुकसान नहीं होना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत सम्मन नियमित अदालत व लोक अदालत की तामील नहीं करवाई गई जिस कारण उनके विरूद्ध उक्त प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही हुई व एक पक्षीय निर्णय हुआ, एकपक्षीय निर्णय के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 क के तहत निर्णय व डिक्री की सूचना नहीं दी, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री अपास्त की जाये ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री लोक अदालत में जारी की है । फैसले में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हैं । लोक अदालत के नोटिस की तामील एक साथ कर दी गई जबकि व्यक्तिशः तामील होनी चाहिए थी । लोक अदालत का उद्देश्य सभी की सहमति से हाना चाहिए । पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई है । तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके पर विभाजन करना चाहिए । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं । आई एल आर ने रिपोर्ट की है । उत्तर में रास्ता भी है हमारी जमीन रास्ते में जा रही है । हमने अपील में लिखा है । हमारी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील मियाद बाहर है । अतः अपील पीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2002(1) पेज 648, आर आर टी 2019(2) पेज 1050, आर आर डी 2019(2) पेज 1547 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि दिनांक 02 03.2015 में इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की [illegible] दिनांक 24.05.2016 को फाईनल डिक्री जारी की है । अपील फाईनल डिक्री में करनी चाहिए । चार साल बाद अपील की है जो मियाद बाहर है । अधीनस्थ न्यायालय का फैसला सही है अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । निर्णय में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दिनांक 02.03 2015 को दर्शायी गयी है । वादी एवं प्रतिवादीगण को कैम्पकोर्ट दहीखेड़ा में उपस्थित होने बाबत नोटिसों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि नोटिस प्रतिवादी/अपीलांट को एक साथ तामील होना बताया है और सम्मन नोटिस की प्राप्ति नन्दलाल द्वारा की जाना बतायी गयी है जबकि सम्मन नोटिस की तामील व्यक्तिशः किया जाना आवश्यक है । लोक अदालत का उद्देश्य भी पक्षकारों के बीच राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण करना होता है । इसके लिए पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है । तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिए लेकिन विभाज़न प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं, पक्षकार सहमत है अथवा असहमत हैं । इससे स्पष्ट नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपील संख्या 80/2019 एवं 81/2019 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 24.05.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
[illegible] (राज.)

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करे एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा